

गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०-२/जी अजाविनि-०७/२०१२- ४६

(१३)

प्रेषक,

मोहन प्रकाश मधुकर (भा०प्र०स०)

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपनिदेशक(मु०)

—सह—

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार।

पटना, दिनांक— १२.२.१७

विषय—वितीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान—वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल रु० 488.56 लाख (चार करोड अठासी लाख छप्पन हजार रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वितीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान—वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल रु० 488.56 लाख (चार करोड अठासी लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की व्यय की रवीकृति पत्रांक-85 दिनांक-०७.०२.२०१७ द्वारा दी गई है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि) को सहायक अनुदान—वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल रु० 488.56 लाख (चार करोड अठासी लाख छप्पन हजार रु०) मात्र आवंटित की जाती है।

२— ईर योजना मद में प्रस्तावित राशि “मुख्य शीर्ष-2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—उपमुख्य शीर्ष-०१—अनुसूचित जातियों का कल्याण—लध शीर्ष-१९०—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों को सहायता—उप शीर्ष-००१—बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम पटना—मांग सं०-४४—विषय शीर्ष-३१ ०४—सहायक अनुदान—वेतन-३१ ०६—सहायक अनुदान—गैर वेतन विपत्र कोड-N2225011900001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

उपरोक्त मद में वर्ष 2016-17 के लिए गैरयोजना मद में उद्देश्य एवं बजट प्रावधान है।

क्रमांक	विषय शीर्ष	विवरणी	वार्षिक व्यय विवरणी (राशि रु० में)
१	३१०४	सहायक अनुदान—वेतन	रु० ४७२०००००
२	३१०६	सहायक अनुदान—गैर वेतन	रु० १६५६०००

३— उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक(मु०), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना के पी० एल० खाता सं०-२८३ में हस्तांतरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।


४— राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७/४/९८ तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

५— प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि० (अजाविनि), पटना द्वारा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2017 तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

६— महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से सम्बन्धित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

७— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश


  
(मोहन प्रकाश मधुकर)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

(262)

— 2 —

ज्ञापांक-2/जी अजाविनि-07/2012- 86 पटना, दिनांक- 9.2.17  
 प्रतिलिपि— वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*अनु० ११८*  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 86 पटना, दिनांक- 9.2.17  
 प्रतिलिपि — कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*अनु० ११८*  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 86 पटना, दिनांक- 9.2.17  
 प्रतिलिपि — प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिं० (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*अनु० ११८*  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2/जी अजाविनि-07/2012- 86 पटना, दिनांक- 9.2.17  
 प्रतिलिपि — आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय डेव-लॉइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*अनु० ११८*  
सरकार के संयुक्त सचिव।